रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236928 CG-DL-E-01072022-236928

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 467] No. 467] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2022/ आषाढ़ 10, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2022/ASHADHA 10, 1944

वित्त-मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 30 जून 2022

सं. 37/2022- सीमाशुल्क

सा.का.नि. 501(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की उन प्रत्येक अधिसूचनाओं में, जो कि नीचे सारणी के कॉलम (2) में दी गयी हैं, आगे भी संशोधन करती है तथा ये संशोधन उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गयी तत्सम्बन्धी प्रविष्टिओं में विनिर्दिष्ट तरीके से किए जायेंगे. यथा:-

सारणी

क्रम संख्या	अधिसूचना सं. और दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	16/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [<i>सा.का.नि.सं.</i> 252(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, खंड (iii) के परंतुक को हटाया जा रहा है।

4393 GI/2022 (1)

2.	18/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [<i>सा.का.नि. सं.</i> 254 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, खंड (xiii) को हटाया जा रहा है ।
3.	20/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [<i>सा.का.नि. सं.</i> 256 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, खंड (xiv) को हटाया जा रहा है।
4.	22/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [<i>सा.का.नि. सं.</i> 258 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, खंड (xiii) को हटाया जा रहा है।
5.	45/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2016 [<i>सा.का.नि. सं.</i> 795 (अ), दिनांक 13 अगस्त, 2016 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में खंड (xii) को हटाया जा रहा है।
6.	52/2003 – सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च 2003 [<i>सा.का.नि. सं</i> 274(अ), दिनांक 31 मार्च, 2003 के द्वारा	उक्त अधिसूचना में प्रारभिक पैराग्राफ में, परंतुक में "उपर्युक्त खंड (ख) में वर्णित 1 जुलाई 2022 को या उसके बाद कुछ भी लागू नहीं होगा, निम्नलिखित शर्तों के तहत" कोष्ठक, आंकड़ों एवं अक्षरों के लिए "इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी" को प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

[फा.सं. डी जी इ पी/ इ ओ यू/5/2022- टेक]

गोपाल कृष्ण झा, निदेशक (ड्राबैक)

नोट:

- (1) प्रधान अधिसूचना सं. 16/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 252 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i)में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 19/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि. 248(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया था।
- (2) प्रधान अधिसूचना सं. 18/2015- सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.िन. 254 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 19/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.िन.248 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया था।
- (3) प्रधान अधिसूचना सं. 20/2015- सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 256 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 19/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि.248 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया था।
- (4) प्रधान अधिसूचना सं. 22/2015- सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 258 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम

बार संशोधन अधिसूचना सं. 19/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि.248 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया था।

- (5) प्रधान अधिसूचना सं. 45/2016- सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2016 को सा.का.नि. 795(अ), दिनांक 13 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 19/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि.248 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया था।
- (6) प्रधान अधिसूचना सं. 52/2003 सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च 2003 को सा.का.िन. 274(अ), दिनांक 31 मार्च 2003 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 18/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.िन.249 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 37 /2022- Customs

G.S.R. 501(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in each of the notifications of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in Column (2) of the Table below, in the manner as specified in the corresponding entry in Column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Notification number and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	16/2015-Customs, dated the 1st April, 2015 [vide number G.S.R. 252(E), dated the 1st April, 2015]	In the said notification, in the opening paragraph, the proviso to clause (iii) shall be omitted.
2.	18/2015-Customs, dated the 1st April, 2015 [vide number G.S.R. 254 (E), dated the 1st April, 2015]	In the said notification, in the opening paragraph, clause (xiii) shall be omitted.
3.	20/2015-Customs, dated the 1st April, 2015 [vide number G.S.R. 256 (E), dated the 1st April, 2015]	In the said notification, in the opening paragraph, clause (xiv) shall be omitted.
4.	22/2015-Customs, dated the 1st April, 2015 [<i>vide</i> number G.S.R. 258 (E), dated the 1st April, 2015]	In the said notification, in the opening paragraph, clause (xiii) shall be omitted.
5.	45/2016-Customs, dated the 13th August 2016 [vide number G.S.R. 795(E), dated the 13th August, 2016]	In the said notification, in the opening paragraph, clause (xii) shall be omitted.

6. 52/2003-Customs, dated the 31st March, 2003 [vide number G.S.R. 274(E), dated the 31st March, 2003]

In the said notification, in the opening paragraph, in the proviso, for the brackets, letters and figures "nothing contained in clause (B) above shall apply on or after the 01st July, 2022, subject to the following conditions" the words "exemption under this notification shall be subject to the following conditions" shall be substituted.

[F. No. DGEP/EOU/5/2022-TECH]

GOPAL KRISHNA JHA, Director (Drawback)

Note:

- (1) The principal notification No. 16/2015-Customs, dated the 1st April, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.252 (E), dated the 1st April, 2015 and was last amended by notification No. 19/2022-Customs, dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 248(E), dated the 31st March, 2022.
- (2) The principal notification No. 18/2015-Customs, dated the 1st April, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 254 (E), dated the 1st April, 2015 and was last amended by notification No. 19/2022-Customs, dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 248(E), dated the 31st March, 2022.
- (3) The principal notification No. 20/2015-Customs, dated the 1st April, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 256 (E), dated the 1st April, 2015 and was last amended by notification No. 19/2022-Customs, dated the 31st March,2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 248(E), dated the 31st March, 2022.
- (4) The principal notification No. 22/2015-Customs, dated the 1st April, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 258 (E), dated the 1st April, 2015 and was last amended by notification No. 19/2022-Customs, dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 248(E), dated the 31st March, 2022.
- (5) The principal notification No. 45/2016-Customs, dated the 13th August, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 795 (E), dated the 13th August, 2016 and was last amended by notification No. 19/2022-Customs, dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 248(E), dated the 31st March, 2022.
- (6) The principal notification No. 52/2003-Customs, dated the 31st March, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 274 (E), dated the 31st March, 2003 and last amended by notification No. 18/2022-Customs, dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 249(E), dated the 31st March, 2022.